

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला — बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क्रमांक—575 / 2009
संस्थित दिनांक—03 / 11 / 2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

1—अरुण कुमार पिता खेमराज गडेर उम्र—50 वर्ष,
निवासी—पिन्डकेपार, चौकी उकवा, थाना रूपझर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—धीरपाल सिंह पिता रामसिंह गोंड, उम्र—46 वर्ष, (उन्मोचित)
निवासी लीलामेटा, चौकी उकवा, थाना रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—24 / 03 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 3 / 181 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—28.09.2009 आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत स्थान ग्राम राजपुर में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / ए—0591 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहतगण शीलाबाई, संजय, लीलावती, अनिल, कु. नीता, देवकलीबाई, नागेश एवं रेवतीबाई को ठोस मारकर साधारण उपहति तथा आहत देवकीबाई को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित कर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—28.09.2009 को समय 9:15 बजे फरियादी दारासिंह मर्सिकोले अपने घर से उकवा दशहरे का प्रोग्राम देखने मोटर साईकिल से जा रहा था तो उसे पता चला कि गुदमा के पास घाटी पर ट्रेक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, तब उसने जाकर देखा तो ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी. 50 / ए—0591 के ड्राईवर ने तेज रफ्तार एवं लापरवाही से ट्रेक्टर चला कर पलटा दिया, जिसमें बैठे लोग दब गए और उन्हें चोट आई थी। आहत शीलाबाई, संजय,

लीलावती, अनिल, कुमारी नीता, देवकी, देवकली, नागेश उकवा से दशहरा का प्रोग्राम देखकर उक्त ट्रेक्टर में बैठकर अपने ग्राम सुन्दरवाही जा रहे थे। उक्त सूचना पर पुलिस थाना रूपझर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-93/2009, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत देवकी की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अरुण के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन करने पर धारा-3/181 मोटर यान अधिनियम का इजाफा किया किया गया तथा वाहन मालिक धीरपाल के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित करते हुए पुलिस के द्वारा आरोपी अरुण को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी धीरपाल को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 व 146/196 के अंतर्गत उन्मोचित किया गया है। आरोपी अरुण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं धारा-3/181 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी अरुण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी अरुण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी अरुण ने दिनांक-28.09.2009 आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत स्थान ग्राम राजपुर में लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए-0591 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी अरुण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहतगण शीलाबाई, संजय, लीलावती, अनिल, कु. नीता, देवकलीबाई, नागेश एवं रेवतीबाई को ठोस मारकर साधारण उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपी अरुण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत देवकीबाई को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?
4. क्या आरोपी अरुण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— दारासिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह ग्राम पिण्डकेपार का निवासी है। वह घटना समय घर पर था और उसे घटना की सूचना मोबाईल पर मिली थी। उसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा और उसने देखा की एक ट्रेक्टर पलटा हुआ है। जिसके कारण कुछ लोगो को चोट लगी थी। उसे ट्रेक्टर का नंबर याद नहीं है और न ही उसे ट्रेक्टर चलाने वाले की जानकारी है। घटनास्थल पर उसे कोई आहत व्यक्ति नहीं मिला और उसे जानकारी नहीं है कि वाहन चालक उक्त ट्रेक्टर को किस तरीके से चला रहा था। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 उकवा चौकी में लिखाई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था, जो प्रदर्श पी-2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिखे थे। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने उक्त दुर्घटना में आहतगण को चोट कारित होने के तथ्य को स्वीकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के दिन ट्रेक्टर को कौन चला रहा था। उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन न करते हुए मात्र सूचनाकर्ता के रूप में रिपोर्ट लिखाए जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है।

6— ताराचंद (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह उसके गांव से एक किलो मीटर की दूरी पर ग्राम पिण्डकेपार में रहता है। घटना एक वर्ष पूर्व की रात 9:30 बजे की है। उसने उस समय देखा था कि गुदमा से पिण्डकेपार रोड़ पर उतार पर ट्रेक्टर का इंजन खड़ा था और ट्रॉली पलटी थी। वह उस समय लीलामेटा से गुदमा आ रहा था। इसके अलावा उसने घटनास्थल पर कुछ नहीं देखा था। ट्रेक्टर न्यायालय उपस्थित आरोपी का था।

पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे घटनास्थल पर लोगों ने बताया था कि ट्रेक्टर का चालक वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिस कारण वाहन पलट गया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-5 से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके सामने पुलिस के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन जप्त होने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में मात्र दुर्घटना होने के तथ्य को स्वीकार किया है, किन्तु अभियोजन पक्ष का आरोपित अपराध के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है।

7— संतोष कुमार नेवारे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी अरुण कुमार को जानता है। घटना पिछले वर्ष दशहरे की शाम 6—7 बजे की ग्राम गुदमा के पास की है। वह उस समय अपनी दुकान पर था। ट्रेक्टर पलट गया, ट्रेक्टर पलट गया कि आवाज सुनकर वह और अन्य लोग दौड़े, जिसे देखने के लिए वह गया, तो उसने देखा कि ट्रॉली पलट गई थी। उक्त ट्रेक्टर अरुण का था, किन्तु उसे कौन चला रहा था, किसे चोट आई थी, दुर्घटना कैसे हुए एवं रिपोर्ट लिखाने कौन गया था, उसे जानकारी नहीं है। पुलिस को उसने बयान दिए थे, किन्तु उसके पुलिस बयान का संपूर्ण भाग पढ़कर सुनाए जाने पर उसने बयान नहीं देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था तथा घटना दिनांक को वाहन कौन चला रहा था, उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।

8— लीलावती बाई (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना 2 वर्ष पहले शाम की ग्राम गुदमा की है। घटना दिनांक को वे लोग दशहरा देखने गये थे। दशहरा देखकर वे लोग ट्रेक्टर में बैठकर आ रहे थे, जिसे आरोपी अरुण चला रहा था। आरोपी अरुण शराब पीए हुआ था और ट्रेक्टर को बहुत तेजी से चलाकर उसे पलटा दिया था, जिससे उसमें बैठे लोग बेहोश हो गए थे और सभी को चोटें आई थी। आरोपी शराब पीकर ट्रेक्टर चला रहा था, जिस कारण उक्त दुर्घटना कारित हुई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वे लोग दशहरा देखकर ट्रेक्टर में लौट रहे थे

और रास्ते में बारिश होने से रोड़ गीली हो गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उक्त वाहन का ब्रेक मारने पर वाहन का टायर स्लिप हो गया और वह पलट गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी और उसने कोई असावधानी नहीं बरती थी। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी की गलती से दुर्घटना घटित होना प्रकट किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन करते हुए अपने कथन से मुकर गई है।

9— आहत देवकीबाई (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी अरुण को जानती है। घटना वर्ष 2009 की शाम ग्राम गुदमा की है। घटना के दिन वे लोग दशहरा देखने गए थे। आरोपी घटना दिनांक को उकवा में ट्रैक्टर लेकर आया था और उनको लेकर चलने के लिए कहा। लौटते वक्त आरोपी अरुण ट्रैक्टर को चला रहा था और वे लोग ट्रैक्टर में बैठकर घर जा रहे थे, तो गुदमा के नाले के पास दुर्घटना कारित हो गई थी। आरोपी शराब पीए हुए था और एक हाथ से बीड़ी पी रहा था। उक्त घटना से उसे बहुत चोट आई थी और वह कुछ काम नहीं कर सकती। उक्त घटना आरोपी की गलती से घटित हुई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय रास्ते में घटनास्थल पर उतार के बाद टर्निंग है और वहां बहुत सा गोबर पड़ा रहता है। साक्षी ने घटनास्थल पर ब्रेक मारने पर गाड़ी स्लिप होने से इंकार किया है तथा स्वतः कथन किया है कि आरोपी गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और एक हाथ से चला रहा था। इस प्रकार साक्षी के उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय वाहन को उतावलेपन से एवं उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, जिस कारण ट्रैक्टर पलट गया था।

10— देवकली (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दो-तीन वर्ष पूर्व ग्राम गुदमा की है। वे लोग झाँकी देखने उकवा गये थे। घटना रात के 11:00 बजे लगभग दो तीन वर्ष पूर्व की है। वे लोग ट्रैक्टर में पीछे वाली ट्राली में बैठकर सुंदरवाही लौट रहे थे। उक्त ट्रैक्टर को आरोपी अरुण चला रहा था। आरोपी उक्त ट्रैक्टर को तेज गति से चला रहा था। घटना आरोपी के तेज चलाने के कारण हुई थी। आरोपी ने ट्रैक्टर को तेज गति से चलाया और ट्रॉली को नाले के पास पलटा दिया। उक्त घटना से उसके पैर में चोट आई थी और ट्रैक्टर में बैठे सभी लोगों को चोट आई थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि किसी-किसी को नहीं आई थी। आरोपी ने ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से चलाया और ट्रॉली को पलटा दिया था। साक्षी के

प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने उक्त घटना में आरोपी की लापरवाही से दुर्घटना होने और आहतगण को चोट कारित होने का समर्थन किया है।

11— शीलाबाई (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व दशहरा की ग्राम गुदमा घाट की रात 8-9 बजे रात की है। वे लोग उकवा झांकी देखने आए थे तो वहां से गांव लौट रहे थे। हम लोग ट्रेक्टर में बैठकर जा रहे थे। वह ट्रॉली में बैठी थी। को आरोपी अरुण चला रहा था। उसे का नंबर याद नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी को कैसे चला रहा था। वह अंदर बैठी थी, इसलिए उसे पता नहीं की ट्रॉली कैसे पलट गई। ट्रॉली पलटने से उसे चोट आई थी। उसका मुलाहिजा बालाघाट में हुआ था। उसने पुलिस को बयान दिया था। साक्षी को उसका पुलिस बयान पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने बयान देना नहीं व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उक्त वाहन को मोड़ने के लिए ब्रेक मारा तो वाहन एक साईड़ खींच गया था। साक्षी ने आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को किस प्रकार से चालन किया जा रहा था, इसका खुलासा अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, इस कारण इसके कथन से आरोपित अपराध के संबंध में महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

12— नरेन्द्र कुमार (अ.सा.8) एवं ओजेन्द्र (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी से उनके सामने वाहन जप्ती की कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही से इंकार कर अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

13— डॉ निलय जैन (अ.सा.10) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-29.09.2009 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस के द्वारा आहत देवकी, देवकली, शीलाबाई, रेवताबाई, जागेश, लीलावती, संजय को परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसके द्वारा उक्त आहतगण का परीक्षण किये जाने पर सभी आहतगण को शरीर के विभिन्न हिस्सों में साधारण चोटें आने की पुष्टि की गई है। आहतगण की मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-13 हैं। आहतगण की हॉस्पिटल के बेडहेड एवं भर्ती टिकट प्रदर्श पी-14 लगायत प्रदर्श पी-27 है।

14— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस चिकित्सीय साक्षी के कथन से आहत आहत देवकी, देवकली, शीलाबाई, रेवताबाई, जागेश, लीलावती, संजय को साधारण चोट कारित होने की पुष्टि होती है, किन्तु अन्य आहतगण अनिल एवं कुमारी नीता को परीक्षण किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। आहतगण अनिल एवं कुमारी नीता की मुलाहिजा रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि उनके द्वारा चोट ठीक हो जाने के कारण मुलाहिजा नहीं कराया जाना व्यक्त किया गया है। इसके अलावा आहत देवकीबाई को कथित घोर उपहति कारित होने के संबंध में भी उक्त चिकित्सीय साक्षी ने अपनी साक्ष्य में पुष्टि नहीं की है तथा स्वयं आहत देवकीबाई (अ.सा.5) ने भी उसे कथित घोर उपहति कारित होने के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किये हैं तथा मात्र घटना में उसे बहुत चोट आने के कथन किये हैं। आहत देवकीबाई की एकसरे रिपोर्ट भी प्रकरण में प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार आहतगण की साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय उक्त वाहन दुर्घटना में आहत देवकी, देवकली, शीलाबाई, रेवताबाई, जागेश, लीलावती, संजय एवं देवकीबाई को साधारण चोट कारित हुई थी।

15— अनुसंधानकर्ता के.पी. मिश्रा (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-29.09.2009 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसकी ड्यूटी चौकी उकवा में लगाई गई थी। उसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-93/09, धारा-279, 337 भा.द.वि. विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दारासिंह, ताराचंद की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही दारासिंह, ताराचंद, चंदनलाल एवं दिनांक-02.10.2009 को साक्षी संतोष, लीलावती, शीलाबाई, देवकीबाई, देवकलीबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक-29.09.2009 को घटनास्थल से एक ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी-50/ए.0591 ट्राली सहित जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-30.09.2009 को आरोपी अरुण कुमार से साक्षियों के समक्ष ट्रेक्टर ट्राली का रजिस्ट्रेशन, बीमा वैधता दिनांक-28.12.2009 तक का जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी अरुण कुमार को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा ट्रेक्टर का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराकर, परीक्षण रिपोर्ट चालान के

साथ संलग्न किया था। आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होने से धारा-3/181 मोटरयान अधिनियम एवं आहत को फ़ेक्चर होने से धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

16— प्रकरण में अभियोजन की ओर से आहत देवकीबाई (अ.सा.5) एवं देवकली (अ.सा.6) के कथन से यह स्पष्ट है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को तेज रफ़्तार और एक हाथ से चलाए जाने के कारण पलटा दिया था, जिसमें बैठे सभी आहतगण को चोट आई थी। उक्त तथ्य का खंडन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार आरोपी का उक्त कृत्य वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चालन की श्रेणी में आता है। आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाए जाने से आहत देवकी, देवकली, शीलाबाई, रेवताबाई, जागेश, लीलावती, संजय को साधारण चोट कारित हुई थी। आहत अनिल एवं कुमारी नीता को अभियोजन की ओर से आहत अनिल एवं कुमारी नीता की साक्ष्य पेश नहीं की गई है और न ही उनकी चोटों के संबंध में मुलाहिजा रिपोर्ट प्रमाणित की गई है, इस कारण उक्त आहतगण के संबंध में आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। आहत देवकी, देवकली, शीलाबाई, रेवताबाई, जागेश, लीलावती, संजय को साधारण चोट कारित होने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने आरोपी के पास घटना के समय वाहन चालन की अनुज्ञप्ति न होने के कथन किये हैं, जिसका खंडन आरोपी की ओर से नहीं किया गया है और न ही बचाव में वाहन चालन की वैध अनुज्ञप्ति पेश की गई है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा घटना के समय बिना अनुज्ञप्ति के वाहन चलाया जाना भी प्रमाणित है।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए-0591 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहतगण शीलाबाई, संजय, लीलावती, देवकलीबाई, नागेश एवं रेवतीबाई को साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं

धारा-3/181 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आहत अनिल एवं नीता की उपहति के अपराध के संबंध में आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है।

18— आरोपी के द्वारा किया गया अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आरोपी के द्वारा वर्ष 2009 से विचारण का सामना किया जा रहा है और उसके विरुद्ध अन्य अपराध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण पेश नहीं है। अतएव प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:—

धारा	अर्थदंड	व्यतिक्रम की दशा में कारावास
धारा-279 भा.दं.वि.	1,000 /—रुपये	एक माह का सादा कारावास
धारा-337 भा.दं.वि. (आहत देवकीबाई के लिए)	500 /—रुपये	एक माह का सादा कारावास
धारा-337 भा.द.वि. (आहत देवकलीबाई के लिए)	500 /—रुपये	एक माह का सादा कारावास
धारा-337 भा.द.वि. (आहत शीलाबाई के लिए)	500 /—रुपये	एक माह का सादा कारावास
धारा-337 भा.द.वि. (आहत रेवतीबाई के लिए)	500 /—रुपये	एक माह का सादा कारावास
धारा-337 भा.द.वि. (आहत जागेश के लिए)	500 /—रुपये	एक माह का सादा कारावास
धारा-337 भा.द.वि. (आहत लीलावती के लिए)	500 /—रुपये	एक माह का सादा कारावास
धारा-337 भा.द.वि. (आहत संजय के लिए)	500 /—रुपये	एक माह का सादा कारावास
धारा-3/181 मोटरयान अधिनियम	500 /—रुपये	एक माह का सादा कारावास

19— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20— प्रकरण में आरोपी मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। अतएव उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

21— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50/ए—0591 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार पारस धीरपाल सिंह पिता रामसिंह गोंड निवासी ग्राम लीलामेटा, थाना रूपझर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)